न्यायालय अपर जिला कलक्टर फलोदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री गोपालराम बिरडा (आर.ए.एस)

परिवाद संख्या 01 / 2024

प्रार्थी–

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. श्री आशीष पुरोहित श्री आनन्द पुरोहित, उम्र 32 वर्ष, जाति – ब्राहमण,
फर्म–मैसर्स – लालजी डेयरी, इंडसंन बैंक के सामने अग्रवाल कॉलोनी, नई सडक फलोदी।
निवास– एसटीसी स्कूल के सामने जे. सीराम भवन, उम्मेदपुरा फलोदी (राज.)

आदेश दिनांकः–06.05.2024

प्रार्थी रेवत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.01.2024 को 12:10 पी.एम. मैं रेवत सिंह बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चौकिग लालजी डेयरी, इंडसन बैक के सामने अग्रवाल कॉलोनी, नई सडक फलोदी पर पहुचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दूकान पर विक्रेता की हैसियत लालजी डेयरी, इंडसन बैक के सामने अग्रवाल कॉलोनी, नई साडक फलोदी निवासी – एसटीसी स्कूल के सामने जे. सी. राम भवन, उम्मेदपुरा फलोदी (राज.) मोबाईल न. – 9460877559 उपस्थित मिले जो लालजी डेयरी, की डेयरी दुकान मे पड़ी डी – फ्रीज के कम्पार्टमेन्ट में लगभग 25 किग्रा. पनीर पड़ा था। उक्त पनीर में मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना जांचा 1 किग्रा. पनीर कीमतन खरीदा एंव 250 ग्राम प्रति नमूना के हिसाव से प्लास्टिक की जार साफ सूखी बोतलों में डाल कर प्रति नमूना 20 बूंद फार्गेलिन डालकर हिला मिला एक रुप कर नियमानुसार नमूनीकरण किया गया । शक होने पर रूवरू गवाहन का निरीक्षण करने पर चन्द प्रकाश पुत्र श्री अमरलाल थानवी, जाति–ब्राह्मण, उम्र 48 वर्ष निवासी हनुमान चौक फलोदी (राज.). मोबाईल स्वाध्य पदार्थ पनीर 1 किग्रा.का नमूना खरीद कर विक्रेता को कहा गया एवं 9660072405 की उपस्थिति में इसकी सूचना जरिये फार्म 5 एं प्रपत्र भरकर आशीष पुरोहित को दिया गया एवं प्रपत्र 5 ए की रसीद प्राप्त की । प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बतादिया कि यह मावा का नमूना वास्ते जाँच एवं लेबल जॉच हेतु एफ एस एस एक्ट खरीद कर रहा हुँ प्रपत्र 5 ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर उक्त फार्म 5 ए मूल संलग्न है। विक्रेता से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो प्रस्तुत किया संलग्न परिवाद है ।

1. फर्म का निरीक्षण करने पर लालजी डेयरी, डेयरी में पड़े 25 किग्रा पनीर में से 1 कि.ग्रा. खरीदा एवं साफ सूखी बोतलो में 250 ग्राम प्रति नमूना डाल कर प्रति नमूना 20 बूंद फार्मेलिन डालकर नियमानुसार नमुनीकरण किया गया, मिलावट का भाक होने पर हेतु रूबरू गवाह्व की उपस्थिती में विक्रेता को इसकी सुचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र हुए पर रसीद प्राप्त की । प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने हेतु खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। जो मूल सलंग्न है ।

2. रूवरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये भाव से रूपये 360/– अक्षरे तीन सो साठ रूपये मात्र नगद देकर पनीर 1 किग्रा.वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, असल प्रति सलंग्न है ।

3. विक्रेता व गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा पनीर 1 किग्रा. को 250 ग्राम प्रति नूमना के हिसाब सेप्लास्टिक की जार साफ सूखी वोतलो में डाला संख्या एम–4003 व अन्य विवरण अंकित कर विक्रेताचारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया एवं अलग–अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–4003 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेढें गोलाई मे गोंद से चिपकाई. चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से वांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर निम्न चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे ... पर ... करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द ... तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैंने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील ... नमूना एम–4003 सील चपडी किया उसका मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ... व विक्रेता के सामने मौके पर ही की एंव मौके पर मौका फर्द तैयार की जो असल मौका फर्द सलंग्न है ।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुच कर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेपक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा श्री रेवत सिंह जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 8.1.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

5. एम–4003 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 6.1.2024 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 6.1.2024 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ति रसीद मूल सलंग्न हैं।

6. अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र कमांक 133–134 दिनांक 23.1.2024 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 32 / एक्ट / 2024/76 दिनांक 16.1.2024 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना डपसा थ्ंज, वद क्तल उंजजमत ड्डेपे दवज समे जींद के निर्धारित मानक 50% के स्थान पर 39.95% होने के कारण अमानक स्तर (Sub&standard) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

7. अभिहित अधिकारी जोधपुर का पत्र कमांक 133 – 134 दिनांक 23.1.2024 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 32 / एक्ट / 2024 / 76 दिनांक 16.1.2024 उक्त फर्म के एफबीओ, मालिक एवं विक्रेता श्री आशीष पुरोहित को सुचनार्थ एंव उनकी नियमानुसार फार्म 08 में अपनी अपील प्रस्तुत करने हेतु रजि० डाक से प्रेषित किया गया । पुनः जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नही की गई, यह है कि उक्त प्रकरण के सभी दस्तावेज जरिए अग्रेशणपत्र श्री मान अभिहित अधिकारी जोधपुर को प्रस्तुत किये जो सलग्न परिवाद है

8. प्रकरण से सम्बन्धित असल मूल कागजात एंव अधिसूचनाओं की छाया प्रतियों वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकार, जोधपुर को प्रस्तुत किये जिसकी प्रति सलंग्न है।
9. श्रीमान अभिहित अधिकारी जोधपुर ने समस्त कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया एंव न्यायनिर्णयन स्वीकृति क्रमांक–एफएसएसए / 2024 / स्वीकृति / एम–4003 / 451–452 दिनांक 07.03.2024 को जारी की एंव मुझे प्राधिकृत कर आदेश दिये कि प्रकरण को न्यायनिर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी एंव सम्बन्धित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फलौदी के समक्ष पेश करें। इसलिये मै रेवत सिंह, ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपके समक्ष प्रस्तुत होकर निवेदन करता हू। कि –

1. श्री आशीष पुरोहित श्री आनन्द पुरोहित, उम्र 32 वर्ष, जाति – ब्राहमण,
   फर्म–मैसर्स – लालजी डेयरी, इंडसंन वैंक के सामने अग्रवाल कॉलोनी, नई सडक फलोदी।
   निवास– एसटीसी स्कूल के सामने जे. सीराम भवन, उम्मेदपुरा फलोदी (राज.)

ने अमानक **(Sub-standard)** पदार्थ पनीर का **निर्माण एंव विक्रय कर** एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो की धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को जुर्माना करने की कृपा करे ताकि अमानक **(Sub-standard)** खाद्य पदार्थ के विक्रय/उपयोग को रोका जा सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगणो की तलबी हेतु नोटिस जारी होकर तामील हेतु भेजे गये एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार वकालतनामा पेश किया जिसे सामिल मिसल किया गया। इसके बाद में जवाब हेतु अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण ने अपना साक्ष्य सबूत व जवाब प्रस्तुत नही किया वार–वार अवसर देने के उपरान्त भी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। खाद्य सुरक्षा के प्रकरण में त्वरित न्याय अत्यावश्यक है ताकि लोक जीवन स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ।

अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानव अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना के हेतु मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया और अवलोकन बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायहित मे जुर्माना किया जाय।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाये गये है उसको मध्य नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ती रूपये 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र की आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी भी चेतावनी दी जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 06.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:18 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
(गोपालराम बिरडा)
फलौदी (राज.)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी